समक्ष - एम. एम. कुमार, जे

हर किशन दलाल - याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य -प्रतिवादी

सी.डब्ल्यू.पी. क्र. संख्या 2610 ऑफ़ 1986

18 अगस्त, 2004

पंजाब सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1961 - उप धारा 55(1) और 69–भारत का संविधान, 1950–अनुच्छेद 226- सोसाइटी राशि की जमा राशि में गबन- मध्यस्थ के पास भेजा गया - याचिकाकर्ता न तो कोई कर्मचारी है और न ही सोसायटी का नामित सदस्य-याचिकाकर्ता सेंट्रल बैंक का एक अधिकारी-बैंक और सोसायटी के एक अधिकारी के बीच विवाद से संबंधित संदर्भ जो धारा 55(1) के प्रावधान के दायरे में नहीं आता है - तथ्य का निष्कर्ष - क्या सरकार अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने में सक्षम है - **अभिनिर्णित** - यदि तथ्य का निष्कर्ष विकृत है और किसी भी सबूत द्वारा समर्थित नहीं है या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना ही यह निष्कर्ष निकाला जाता है - धारा 69 के प्रावधान केवल कानून के प्रश्न या अधिकार क्षेत्र से संबंधित निर्णय लेने की सरकार की शक्ति को सीमित नहीं करते हैं - हालांकि, तथ्य की खोज को उलटने के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा साक्ष्य की पुनः सराहना अनुमति योग्य नहीं - धारा 55 (1) के तहत संदर्भ

को सक्षम न मानने वाले अपीलीय प्राधिकारी के आदेश को रद्द करते हुए याचिका को अनुमति दी गई।

अभिनिर्णित , अधिनियम की धारा 55(1) के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाता है कि सहकारी समिति के पिछले सदस्यों और उनके माध्यम से दावा करने वाले व्यक्तियों के बीच इसके गठन, प्रबंधन या व्यवसाय से संबंधित विवाद के संबंध में एक संदर्भ दिया जा सकता है। ऊपर उल्लिखित प्रकृति का विवाद भी मध्यस्थ को भेजा जा सकता है यदि यह किसी सदस्य, पूर्व सदस्य या सोसायटी के किसी सदस्य, उसकी समिति या सोसायटी के किसी अधिकारी, एजेंट या कर्मचारी आदि के माध्यम से दावा करने वाले व्यक्ति के बीच मौजूद है। स्पष्ट है कि यह प्रावधान किसी एजेंट या कर्मचारी या सोसायटी के नामित सदस्यों और सेंट्रल सोसायटी के अधिकारी के बीच विवाद को कवर नहीं करता है। प्रतिवादी संख्या 1 ने यह मानकर अधिनियम की धारा 55 के तहत मध्यस्थ को कल्पित क्षेत्राधिकार प्रदान किया है कि याचिकाकर्ता सोसायटी का नामांकित सदस्य है। प्रतिवादी नंबर 1 की ऐसी धारणा तथ्यों और पार्टियों की दलीलों से समर्थित नहीं है। याचिकाकर्ता के संबंध में तथ्यों की यह धारणा कि वह एक नामांकित सदस्य रहा है और कैश बुक/पास बुक में प्रविष्टि कर रहा है, बिल्कुल प्रतिवादी नंबर 2 की कल्पना है। इन अनुमानित तथ्यों की अनुपस्थिति में, अधिनियम की धारा 55 इसमें शामिल नहीं है याचिकाकर्ता और याचिकाकर्ता, सेंट्रल बैंक के एक अधिकारी और सोसायटी के बीच विवाद से संबंधित कोई संदर्भ मध्यस्थ को संदर्भित नहीं किया गया

था। इसलिए, 7 मार्च, 1986 का आदेश रद्द किया जाने योग्य है और यह माना जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता के खिलाफ संदर्भ सक्षम नहीं था।

(पैरा 7 एवं 8)

इसके अलावा निर्धारित किया गया- कि यदि आदेश में कोई अवैधता या अनौचित्य है तो पुनरीक्षण प्राधिकारी तथ्य की खोज में हस्तक्षेप करने के लिए सक्षम होगा। अनुभाग की भाषा पर उपरोक्त दृष्टिकोण अवश्य लिया जाना चाहिए क्योंकि यदि तथ्य का कोई निष्कर्ष विकृत है और किसी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है या प्राकृतिक न्याय या इसी तरह की अन्य अवैधताओं के सिद्धांतों का पालन किए बिना निष्कर्ष निकाला गया है, तो पुनरीक्षण प्राधिकारी होगा तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने और उन्हें अलग रखने में सक्षम। हालाँकि, पुनरीक्षण प्राधिकारी उस तथ्य के निष्कर्ष को उलटने में सक्षम नहीं होगा जो केवल इस आधार पर साक्ष्य द्वारा समर्थित है कि साक्ष्य की पुनः सराहना पर अपीलीय प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने वाले किसी अन्य अधिकारी ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया होगा। दूसरे शब्दों में, तथ्य के निष्कर्षों को उलटने के प्रयोजनों के लिए साक्ष्य की पुनः सराहना अस्वीकार्य है। इसलिए, अधिनियम की धारा 69 का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि तथ्य की खोज को उलटने के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी पर पूर्ण प्रतिबंध है।

(पैरा 10)

प्रेम सिंह कादियान, वकील - याचिकाकर्ता के लिए

एस.के. दहिया, एएजी, हरियाणा, प्रतिवादी नंबर 3 के लिए और

आजाद सिंह, वकील, प्रतिवादी नंबर 3 के लिए

निर्णय

एम.एम. मुमर, जे.

(1) संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर यह याचिका मध्यस्थ-सह-निरीक्षक, सहकारी समितियों द्वारा पारित 22 फरवरी, 1980 के आदेश और 7 मार्च, 1986 (अनुलग्नक पी-3) द्वारा पारित हरियाणा सरकार के उप सचिव पंजाब सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1961 (संक्षिप्तता के लिए, 'अधिनियम') की धारा 69 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना करती है। आक्षेपित आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता को कथित गबन की गई राशि के लिए दो अन्य लोगों, हरि चंद, पूर्व-कैशियर और गुरदित्ता राम, पूर्व-सचिव के साथ समान रूप से और गंभीर रूप से उत्तरदायी ठहराया गया है।

(2) पार्टियों के विद्वान वकील द्वारा की गई दलीलों पर विचार करने से पहले कुछ तथ्यों पर ध्यान दिया जा सकता है। याचिकाकर्ता रोहतक सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, रोहतक (संक्षिप्त रूप से, 'सेंट्रल बैंक') का कर्मचारी है और काहनौर को-ऑपरेटिव क्रेडिट एंड सर्विस सोसाइटी लिमिटेड, काहनौर, जिला रोहतक (संक्षिप्त रूप से, 'द सोसाइटी'), इसके प्राथमिक सदस्यों में से एक है । 2 मार्च, 1976 को सोसायटी के सचिव हरि चंद ने 935 रुपये की राशि

जमा करने का आरोप लगाया, लेकिन सोसायटी की कैश बुक में की गई प्रविष्टि में रुपये का आंकड़ा 8,935 दिखाया गया। वास्तविक राशि जमा करने के बारे में विवाद के कारण, अधिनियम की धारा 55 के तहत एक संदर्भ मध्यस्थ को भेजा गया था जो सहकारी समितियों का निरीक्षक होता है। 22 फरवरी, 1980 के अपने पुरस्कार में, उन्होंने श्री हरि चंद, कैशियर और याचिकाकर्ता को सोसायटी को उस आदेश के सात दिनों की अवधि के भीतर ब्याज और व्यय सहित 8,611 रु. रुपये का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया। निर्धारित अवधि में धनराशि जमा न करने पर 14 प्रतिशत की दर से ब्याज देय था। मध्यस्थ के उपरोक्त फैसले के खिलाफ, अधिनियम की धारा 68 के तहत एक अपील सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, रोहतक के समक्ष दायर की गई थी, जिन्होंने 5 मई, 1981 के अपने आदेश में कहा था कि सर्वश्री हरि चंद और याचिकाकर्ता के अलावा, एक राशि के गबन के लिए गुरदित्ता राम भी जिम्मेदार था । 5 मई, 1981 के आदेश के खिलाफ, याचिकाकर्ता के साथ-साथ हरि चंद प्रतिवादी संख्या 4 ने अधिनियम की धारा 69 के तहत उप सचिव, हरियाणा के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिन्होंने मामले पर विचार करने के निर्देश के साथ अपीलीय प्राधिकरण को वापस भेज दिया। याचिकाकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि वह अधिनियम की धारा 55 के अंतर्गत नहीं आता क्योंकि वह सेंट्रल बैंक का कर्मचारी था, सोसायटी का नहीं। अपीलीय प्राधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 26 सितंबर, 1983 के माध्यम से निर्धारित किया कि याचिकाकर्ता उत्तरदायी नहीं था , जो कि आदेश के ऑपरेटिव पैरा से स्पष्ट है जो निम्नानुसार है: -

'इसलिए, सभी पक्षों को सुनने और सोसायटी के रिकॉर्ड के साथ-साथ केस फाइल की जांच करने के बाद यह पाया गया कि कैश बुक एक ही व्यक्ति द्वारा लिखी गई थी। कैशबुक पर कोई बटिंग नहीं है । इसलिए, 935 रुपये की राशि से पहले , बाद में अंक '8' लिखने का कोई सवाल ही नहीं है। शुरुआत से ही रु. 8,935 दर्ज किया गया और रु. 863/33 को 27 फरवरी 1976 को कैश-इन-हैंड के रूप में दिखाया गया था, जिस पर श्री हरि सिंह कैशियर ने उर्दू में हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद 2 मार्च, 1976 तक सदस्यों से 9,505 रुपये की वसूली दिखाई गई, जिसे रोकड़ बही में दर्ज किया गया। इस अवधि के दौरान रु. 370 को शेयर मनी के रूप में सदस्यों को लौटाया गया दिखाया गया और 2 मार्च, 1976 को सी.बी.रोहतक को पुनर्भुगतान के रूप में 8,935 रुपये दर्ज किए गए और 1,058/33 को नकद शेष के रूप में दिखाया गया था, जिस पर श्री हरि चंद, कैशियर द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और उन्होंने अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं। रिकार्ड में कोई कटिंग या ओवरराइटिंग नहीं है। बैंक रसीद के अनुसार केवल रु. 935 रुपए जमा कराए गए।

पंजाब सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1961 की धारा 55 और 56 का भी अवलोकन किया गया। इन प्रावधानों के अनुसार सदस्य, पूर्व सदस्य समिति सदस्य और पूर्व

समिति सदस्य और सोसायटी के एक अधिकारी के खिलाफ मामला भेजा जा सकता है।

इसलिए, उपरोक्त पूरे रिकॉर्ड और बयानों आदि को ध्यान में रखते हुए, मैं, भगवान सिंह, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, रोहतक, रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, हरियाणा की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्णय लेता हूं कि श्री हर किशन दलाई , कार्यकारी अधिकारी, सी.बी. रोहतक दोषी नहीं है और श्री हरि चंद, पूर्व कैशियर और श्री गुरदित्ता राम, पूर्व को दोषी मानते हैं। सचिव संयुक्त रूप से और अलग-अलग 8,000 मूलधन रुपये, 26 सितम्बर, 1983 तक प्रति वर्ष की दर से 6,000 ब्याज, जो कुल मिलाकर रु. 14,000 के लिए उत्तरदायी है और आदेश दिया कि यह राशि 60 दिनों की अवधि के भीतर बकाएदारों से वसूल की जाए। यदि विवादित राशि के लिए उत्तरदायी व्यक्ति पूरी राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं तो उसे बकाएदारों की चल या अचल संपत्ति की कुर्की या उनकी गिरफ्तारी या इन दोनों तरीकों से वसूल किया जाएगा। ब्याज @ 6% प्रति वर्ष संपूर्ण मूल राशि की वसूली होने तक वसूली की जाएगी।"

(3) हरि चंद प्रतिवादी संख्या 4 ने अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित 26 सितंबर, 1983 के आदेश को चुनौती देते हुए अधिनियम की धारा 69 के तहत एक पुनरीक्षण याचिका दायर की,

जिसे प्रतिवादी संख्या 1 ने यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि (a) के संबंध में संदर्भ याचिकाकर्ता अधिनियम की धारा 55 (नए अधिनियम की धारा 102) के तहत सक्षम था और उस संबंध में कोई अवैधता नहीं थी; (b) तथ्यों के आधार पर यह भी माना गया कि चूंकि वह सदस्यों से ऋण की वसूली करता था और सोसायटी की पासबुक/कैश बुक में प्रविष्टियां भी करता था, इसलिए, उसे जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया जा सकता था। सभी तीन अधिकारियों, अर्थात् हरि चंद, पूर्व-कैशियर, याचिकाकर्ता और साथ ही गुरदित्ता राम, पूर्व सचिव को कथित राशि के लिए समान रूप से और अलग-अलग जिम्मेदार ठहराया गया था। प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा पारित आदेश का ऑपरेटिव भाग इस प्रकार है: -

> "108. दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद, मैंने पाया कि याचिकाकर्ता के वकील की दलीलें ठोस हैं और श्री दलाई पर्यवेक्षी अधिकारी और सोसायटी के नामित सदस्य होने के नाते सोसायटी के एक अधिकारी हैं और अब पुराने अधिनियम की धारा 55 के तहत आते हैं। नए अधिनियम की धारा 102 के तहत जिनके खिलाफ मध्यस्थता कार्यवाही शुरू की जा सकती है। श्री दलाई के बयान से पता चलता है कि वह सदस्यों से ऋण की वसूली करता था और सोसायटी के पासबुक और कैशबुक में प्रविष्टियाँ करता था। केवल यह कह कर कि वह सोसायटी का कर्मचारी नहीं है, क्योंकि उसे बैंक द्वारा भुगतान किया जा रहा है, उसे जिम्मेदारी से मुक्त

नहीं किया जा सकता। इसलिए विवादित राशि के गबन के लिए तीनों अधिकारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं ।

9. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर मैंने 26 सितंबर, 1983 के सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियों के आदेश को रद्द कर दिया और श्री हरकिशन दलाई, कार्यकारी अधिकारी, श्री चंद पूर्व कैशियर और श्री गुरदित्ता राम, पूर्व सचिव को समान रूप से दोषी ठहराया और कथित गबन राशि के लिए संयुक्त और पृथक रूप से जिम्मेदार ठहराया ।"

(4) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री प्रेम सिंह कादियान ने तर्क दिया है कि प्रतिवादी नंबर 1 26 सितंबर, 1983 के अपने आदेश में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दर्ज तथ्यों के निष्कर्षों को फिर से खोलने के लिए सक्षम नहीं था क्योंकि उसे अभ्यास करना था। अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की वैधता और औचित्य का पता लगाने के लिए केवल पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार। विद्वान वकील ने यह भी माना है कि याचिकाकर्ता अधिनियम की धारा 55 के अंतर्गत नहीं आता है क्योंकि वह न तो कर्मचारी था और न ही सोसायटी का सदस्य था और इसलिए, मध्यस्थ का कोई भी संदर्भ उसके खिलाफ सक्षम नहीं था। विद्वान वकील ने तब प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दिमाग के प्रयोग का पूर्ण अभाव है क्योंकि आदेश में यह देखा गया है कि याचिकाकर्ता को सोसायटी की प्रबंध समिति में नामांकित किया गया था और वह इसमें प्रविष्टियाँ करता था। सोसायटी की कैश-बुक/पासबुक। इसलिए, विद्वान

वकील ने तर्क दिया है कि प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा पारित आदेश अनुलग्नक पी-3 को रद्द किया जाना चाहिए।

(5) प्रतिवादियों के विद्वान वकील श्री एस.के. दहिया और श्री आज़ाद सिंह ने संयुक्त रूप से बताया है कि आदेश अनुलग्नक पी-3 में कोई अवैधता नहीं है और याचिकाकर्ता को दो अन्य लोगों के साथ संयुक्त रूप से उत्तरदायी ठहराया गया है। विद्वान वकील ने कहा है कि तथ्य के निष्कर्षों पर प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा विचार किया जा सकता है और अधिनियम की धारा 69 द्वारा कोई रोक नहीं लगाई गई है। दोनों विद्वान वकीलों ने तर्क दिया है कि अधिनियम की धारा 55 (1) (b) के तहत संदर्भ सक्षम होगा और याचिकाकर्ता यह दावा नहीं कर सकता कि वह अधिनियम की धारा 55 के अंतर्गत नहीं आता है।

(6) पक्षों की ओर से विस्तृत सुनवाई के बाद मेरा मानना है कि यह याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है। अधिनियम की धारा 55(1) का संदर्भ देना उचित होगा जो इस प्रकार है -

> **"55. ऐसे विवाद जिन्हें मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है:-**
>
> (1) तत्समय लागू किसी भी कानून में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी सहकारी समिति के गठन, प्रबंधन या व्यवसाय से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है-

(a) सदस्यों, पिछले सदस्यों और दावा करने वाले व्यक्तियों के बीच सदस्यों, पूर्व सदस्यों और मृत सदस्यों के माध्यम से; या

(b) किसी सदस्य, पूर्व सदस्य या दावा करने वाले व्यक्ति के बीच किसी सदस्य, पूर्व सदस्य या मृत सदस्य और सोसायटी, उसकी समिति या सोसायटी के किसी अधिकारी, एजेंट या कर्मचारी या परिसमापक, अतीत या वर्तमान के माध्यम से; या

(c) समाज या उसकी समिति और अतीत के बीच समिति, कोई अधिकारी, एजेंट या कर्मचारी, या कोई पूर्व, अधिकारी, एजेंट या पूर्व कर्मचारी या किसी मृत अधिकारी, मृत एजेंट, या सोसायटी के मृत कर्मचारी के नामित, उत्तराधिकारी या कानूनी प्रतिनिधि; या

(d) सोसायटी और किसी अन्य सहकारी समिति के बीच समाज, एक समाज और दूसरे समाज के परिसमापक के बीच या एक समाज के परिसमापक और दूसरे समाज के परिसमापक के बीच;

ऐसे विवादों को निर्णय के लिए रजिस्ट्रार के पास भेजा जाएगा और किसी भी न्यायालय के पास ऐसे विवाद के संबंध में किसी भी मुकदमे या अन्य कार्यवाही पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।

(7) अधिनियम की धारा 55(1) के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाता है कि सहकारी समिति के गठन, प्रबंधन या व्यवसाय से संबंधित विवाद के संबंध में इसके पिछले सदस्यों और दावा करने वाले व्यक्तियों के बीच उन के माध्यम से एक संदर्भ दिया जा सकता है। ऊपर उल्लिखित प्रकृति का विवाद भी मध्यस्थ को भेजा जा सकता है यदि यह किसी सदस्य, पूर्व सदस्य या सोसायटी के किसी सदस्य, इसकी समिति या सोसायटी के किसी अधिकारी, एजेंट या कर्मचारी आदि के माध्यम से दावा करने वाले व्यक्ति के बीच मौजूद है। स्पष्ट है कि यह प्रावधान किसी एजेंट या कर्मचारी या सोसायटी के नामित सदस्यों और सेंट्रल सोसायटी के अधिकारी के बीच विवाद को कवर नहीं करता है। प्रतिवादी संख्या 1 ने यह मानकर अधिनियम की धारा 55 के तहत मध्यस्थ को कल्पित क्षेत्राधिकार प्रदान किया है कि याचिकाकर्ता सोसायटी का नामांकित सदस्य है। प्रतिवादी नंबर 1 की ऐसी धारणा इस याचिका के तथ्यों और पक्षों की दलीलों से समर्थित नहीं है। उपर्युक्त तथ्य का खंडन नहीं किया गया है जब याचिकाकर्ता ने रिट याचिका के पैरा 11 के उप पैरा (c) में दावा किया है जो निम्नानुसार है-

> (c) कि विद्वान उप सचिव ने मामले के तथ्यों को अपना रंग देने की कोशिश की थी और उन तथ्यों को बताने की हद तक चली गई थी, जो न तो यहां थे और न ही वहां थे। याचिकाकर्ता को सोसायटी की प्रबंध समिति में कभी नामित नहीं किया गया था। उन्होंने सोसायटी की समिति की बैठकें नहीं बुलाईं और न ही कोई बुक

या सोसायटी के रजिस्टर में कोई प्रविष्टि की। इस मामले को सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, रोहतक द्वारा अपने फैसले-अनुलग्नक पी/2 में पर्याप्त विवरण के साथ सही तरीके से निपटाया गया है। पुनरीक्षण में उप सचिव, सहकारिता से यह अपेक्षा नहीं की गई थी कि वे अपील में पारित आदेश के साथ किसी भी अवैधता या अनौचित्य को इंगित किए बिना, अपने स्वयं के निष्कर्ष देंगे। इस आधार पर भी पुनरीक्षण आदेश रद्द किये जाने योग्य है।"

(8) याचिकाकर्ता द्वारा किए गए उपरोक्त दावों का सोसायटी-प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने लिखित बयान में खंडन नहीं किया है। किसी अन्य प्रतिवादी द्वारा कोई लिखित बयान दायर नहीं किया गया है। इसे एक तथ्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता सोसायटी का नामांकित सदस्य नहीं है, जैसा कि प्रतिवादी नंबर 1 ने अपने आदेश के पैराग्राफ 8 और 9 में उल्लेख किया है, जिसे पिछले पैराग्राफ में पुन: प्रस्तुत किया गया है। मेरे समक्ष ऐसा कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे पता चले कि याचिकाकर्ता को कभी सोसायटी के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। याचिकाकर्ता के संबंध में तथ्यों की यह धारणा कि वह एक नामांकित सदस्य रहा है और कैश बुक/पास बुक में प्रविष्टि कर रहा है, बिल्कुल प्रतिवादी नंबर 2 की कल्पना है। इन अनुमानित तथ्यों की अनुपस्थिति में, अधिनियम की धारा 55 इसमें शामिल नहीं है याचिकाकर्ता और याचिकाकर्ता, सेंट्रल बैंक के एक अधिकारी और सोसाइटी के बीच विवाद से संबंधित कोई संदर्भ मध्यस्थ को संदर्भित नहीं किया गया

था। इसलिए, आदेश अनुलग्नक पी-3 दिनांक 7 मार्च, 1986 को रद्द किया जाना चाहिए और यह माना जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता के खिलाफ संदर्भ सक्षम नहीं था।

(9) इस सवाल का कि क्या प्रतिवादी नंबर 1 तथ्य की खोज को उलटने में सक्षम है, अधिनियम की धारा 69 का हवाला देकर उत्तर दिया जाना चाहिए जो निम्नानुसार है: -

> **"69. पुनरीक्षण.–** राज्य सरकार और रजिस्ट्रार, स्वप्रेरणा से या संदर्भ के लिए किसी पक्ष के आवेदन पर, किसी भी कार्यवाही के रिकॉर्ड की मांग कर सकते हैं और उसकी जांच कर सकते हैं, जिसमें धारा 68 के तहत कोई अपील सरकार या रजिस्ट्रार के पास नहीं है, क्योंकि मामला पारित किए गए किसी भी निर्णय या आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्य से हो सकता है और यदि किसी भी मामले में सरकार या रजिस्ट्रार को यह प्रतीत होता है कि ऐसे किसी भी निर्णय या आदेश को रद्द या संशोधित किया जाना चाहिए जैसा भी मामला हो, सरकार या रजिस्ट्रार, इससे प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे।"

(10) अधिनियम की धारा 69 के अवलोकन से पता चलता है कि पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग सरकार या रजिस्ट्रार द्वारा पारित निर्णय या आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में खुद को संतुष्ट करने के प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है। यदि सरकार या रजिस्ट्रार की राय में

ऐसे आदेश को रद्द या संशोधित किया जाना आवश्यक है तो प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देकर ऐसा किया जा सकता था। प्रावधान में ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रतिवादी संख्या 1 की केवल कानून के प्रश्न या क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रश्न पर निर्णय लेने की शक्ति को सीमित करता हो। इसके विपरीत प्रावधान को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है, जो पुनरीक्षण प्राधिकारी को किसी निर्णय या आदेश का परीक्षण करने, किसी अवैधता या अनौचित्य का पता लगाने और सुनवाई का अवसर देने के बाद उसे संशोधित, रद्द या संशोधित करने की शक्ति देता है। इसलिए, यदि आदेश में कोई अवैधता या अनौचित्य है तो पुनरीक्षण प्राधिकारी तथ्य की खोज में हस्तक्षेप करने के लिए सक्षम होगा। अनुभाग की भाषा पर उपरोक्त दृष्टिकोण अवश्य लिया जाना चाहिए क्योंकि यदि तथ्य का कोई निष्कर्ष विकृत है और किसी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है या प्राकृतिक न्याय या इसी तरह की अन्य अवैधताओं के सिद्धांतों का पालन किए बिना निष्कर्ष निकाला गया है, तो पुनरीक्षण प्राधिकारी होगा तथ्यों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने और उन्हें अलग रखने में सक्षम। हालाँकि, पुनरीक्षण प्राधिकारी उस तथ्य के निष्कर्ष को उलटने में सक्षम नहीं होगा जो केवल इस आधार पर साक्ष्य द्वारा समर्थित है कि साक्ष्य की पुनः सराहना पर, अपीलीय प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग करने वाले किसी अन्य अधिकारी ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया होगा। दूसरे शब्दों में, तथ्य के निष्कर्षों को उलटने के प्रयोजनों के लिए साक्ष्य की पुनः सराहना अस्वीकार्य है। इसलिए, अधिनियम की धारा 69 का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि तथ्य की खोज को उलटने

के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास पूर्ण प्रतिबंध है और याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्क को खारिज कर दिया जा सकता है।

(11) ऊपर दर्ज कारणों से, यह याचिका सफल होती है क्योंकि अधिनियम की धारा 55(1) के तहत संदर्भ को याचिकाकर्ता के खिलाफ सक्षम नहीं पाया गया है और आदेश दिनांक 7 मार्च, 1986 अनुबंध पी-3 को रद्द कर दिया गया है और अलग रखा गया है। इसलिए, याचिकाकर्ता पर कोई दायित्व नहीं डाला जा सकता।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रितिज़ अरोड़ा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(TRAINEE JUDICIAL OFFICER)

(हरियाणा)